O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No.
Date 05 JUN 2024
Addl.CE
CE
EE
Section

898

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन :– U40108CT2003SGC015820

कार्यालय :– कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.कं./01/2024/3101 रायपुर, दिनांक 27/05/24

(अपील प्र.कं. 01/2024)

श्री एच.आर.नेताम अपीलार्थी
अभनपुर

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 27/05/2024 को पारित)

अपीलार्थी श्री एच.आर.नेताम ने यह अपील जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)– दो, के निर्णय दिनांक 11.01.2024 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे" अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :–	संदर्भ कमांक (1) यथा छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. का पत्र कमांक 01–05/पीडी–दो/215–216 रायपुर दिनांक 19.03.2021 के आदेश में 50–50 प्रतिशत पदोन्नति की जाने की अनुमोदन की कार्यवाही में संदर्भ कं. (2) यथा छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. का पत्र कमांक 01–05/पीडी–दो/678–679 रायपुर दिनांक 02.08.2018 के अनुपालन में श्री के.बी.पात्रे, सम्पर्क अधिकारी द्वारा किये गये टीप/अनुशंसा/सहमति युक्त दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी द्वारा धारा 5(4)(5) का उल्लेख कर दिग्भ्रमित एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी लिखकर चाही गई जानकारी देने से इंकार किया जा रहा है। चूंकि विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही गोपनीय प्रकृति की नहीं है एवं चाही गई जानकारी की विषय–वस्तु पृथक नहीं होने के कारण वांछित जानकारी प्रदान किया जाना अपेक्षित है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :–	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		21.02.2024	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। किन्तु अपरिहार्य कारण से अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		20.03.2024	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। किन्तु अपरिहार्य कारण से अपील में पुनः सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

			अधोहस्ताक्षरकर्ता अर्जित अवकाश में होने के कारण अपील में पुनः सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने में विलम्ब हुआ।
		08.05.2024	जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क/कथन :–		अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, के नियंत्रण एवं प्रभार में होने के कारण धारा 5(5) के अनुसार सहायता ली गई। अपितु संबंधित प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रभाग में अधीक्षण अभियंता (T&D) से अति. मुख्य अभियंता (T&D) के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.03. 2021 में श्री के.बी.पात्रे, विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य सह संपर्क अधिकारी द्वारा अनुशंसित है। चूंकि विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही गोपनीय प्रकृति की है एवं चाही गई जानकारी की विषय–वस्तु पृथक होने के कारण वांछित जानकारी प्रदान किया जाना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी को उक्त जानकारी के वस्तुस्थिति से पत्र क्रमांक 224 दिनांक 11.01.2024 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत करायी गई है।
(V)	अपीलार्थी का अपील तर्क :–		मांगी गई जानकारी छ.ग. के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित में मांगी गई थी। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अस्पष्ट एवं ईरादतन दिग्भ्रमित करने वाली है। अतः उन्हे वांछित जानकारी/दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।
(VI)	जन सूचना अधिकारी का अपील तर्क/कथन :–		अपीलार्थी को धारा 5 (4)(5) के सहायतार्थ संबंधित प्रभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर यथोचित जानकारी से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत करायी गई है।

(3) – प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यवाही की गई है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा तालिका 01 में चाही गई जानकारी/दस्तावेज के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा धारा 5 (5) के सहायतार्थ अपीलार्थी को जो सूचना से अवगत करायी गई है, उससे वह असंतुष्ट है।

अपीलार्थी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि प्रश्नाधीन जानकारी जो छ.ग. के ST/SC वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित में मांगी गई थी जिसे जनसूचना अधिकारी द्वारा देने से इंकार किया गया है।

सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के प्रश्नाधीन जानकारी के संबंध में जन सूचना अधिकारी द्वारा जो सूचना उपलब्ध करायी गई है वह पूर्णतः न्यायसंगत नहीं है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचना की दी गई प्रकृति किसी भी रूप में धारा 8 (1) (ञ) या धारा 8 (1) (j) की उन्मुक्तियों के भीतर नहीं आती है। अपितु विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण गोपनीय प्रकृति के अंतर्गत नहीं आते है। अतएव प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचित होगा।

(4) अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध–न्यायिक प्रकृति की है। अतएव अपील के निराकरण में यह आवश्यक है कि प्रकरण में न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि वह होते हुए भी दिखाई दे।

उल्लेखित तालिका (II) एवं (V) के दृष्टिगत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. का पत्र क्रमांक 01–05/पीडी–दो/215–216 रायपुर दिनांक 19.03.2021 के आदेश में 50–50 प्रतिशत पदोन्नति की जाने की अनुमोदन की कार्यवाही में संदर्भ क्रं. (2) यथा छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. का पत्र क्रमांक 01–05/पीडी–दो/678–679 रायपुर दिनांक 02.08.2018 के अनुपालन में श्री के.बी.पात्रे, सम्पर्क अधिकारी द्वारा किये गये टीप/अनुशंसा/सहमति युक्त दस्तावेज की छायाप्रति कार्यालय में उपलब्धता: अनुसार अपीलार्थी को प्रदान किया जाना न्यायसंगत होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह अपील इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि जनसूचना अधिकारी तालिका (1) में उल्लेखित जानकारी संबंधित प्रभाग के DPIO से दस्तावेज जो भी उनके प्रभाग में उपलब्ध है प्राप्त कर, अपील आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान करें। उक्त निर्देश के दृष्टिगत अपील समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

27/5/24

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक – 0771– 2574700

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. ,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– एक, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर – कंड़िका 04/टीप में उल्लेखित जानकारी/दस्तावेज जनसूचना अधिकारी को अतिशीघ्र उपलब्ध करावे।

(3) श्री एच.आर.नेताम, ग्राम व पो.– छाछानपैरी, तहसील– अभनपुर, जिला– रायपुर पिन – 493661 ।

(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर ।

O/o. E.D. (EITC) 893
CSPDCL Raipur
Receipt No. C 8764
Date 6-5 JUN 2024
Addl.CE
SE
EE
Section

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन :- U40108CT2003SGC015820

कार्यालय :- कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :- 01-01 / अ.प्र.कं. / 02 / 2024 / 3097 रायपुर, दिनांक 27/05/24

(अपील प्र.कं. 02 / 2024)

श्री एच.आर.नेताम अपीलार्थी
अभनपुर

विरुद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

-:: आदेश ::-

(दिनांक 27/05/2024 को पारित)

अपीलार्थी श्री एच.आर.नेताम ने यह अपील जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)- दो, के निर्णय दिनांक 11.01.2024 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे" अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) - प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :-

(i)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी / दस्तावेज :-	संदर्भ कमांक (3) (ऊर्जा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र कमांक 1220 / आर-133 / 2023 दिनांक 03.05.2023) आदेश के परिपालन में दिनांक 03.05.2023 के पश्चात् छ.ग.रा.पॉ. कंपनी में हुए विभागीय पदोन्नति समिति के अंतर्गत कृत कार्यवाही में संदर्भ कमांक (2) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि, का पत्र कमांक 01-05 / पीडी-दो / 533-534 रायपुर दिनांक 06.06.2022) के अनुपालन में श्री व्ही के साय, सम्पर्क अधिकारी द्वारा किये गए टीप / अनुशंसा / सहमति युक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।	
(ii)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :-	जनसूचना अधिकारी द्वारा धारा 5(4)(5) का उल्लेख कर दिग्भ्रमित एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी लिखकर चाही गई जानकारी देने से इंकार किया जा रहा है। चूंकि विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही गोपनीय प्रकृति की नहीं है एवं चाही गई जानकारी की विषय-वस्तु पृथक नहीं होने के कारण वांछित जानकारी प्रदान किया जाना अपेक्षित है।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :-	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :-
		21.02.2024	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। किन्तु अपरिहार्य कारण से अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		20.03.2024	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। किन्तु अपरिहार्य कारण से अपील में पुनः सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

			अधोहस्ताक्षरकर्ता अर्जित अवकाश में होने के कारण अपील में पुनः सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने में विलम्ब हुआ।
		08.05.2024	निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतएव प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क/कथन :–		अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, के नियंत्रण एवं प्रभार में होने के कारण धारा 5 (5) के अनुसार सहायता ली गई। अतः संबंधित प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री नेताम के संदर्भित पत्र कमांक (03) नियुक्तियों की चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण से संबंधित है। दिनांक 03.05.2023 के पश्चात् इस प्रभाग में सहायक अभियंता (T&D) से कार्यपालन अभियंता (T&D) के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.05.2023 जिसमें श्री व्ही.के.साय, विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य सह संपर्क अधिकारी द्वारा अनुशंसित है। चूंकि विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही गोपनीय प्रकृति की है एवं चाही गई जानकारी की विषय–वस्तु पृथक होने के कारण वांछित जानकारी प्रदान किया जाना अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी को वांछित जानकारी के उक्त वस्तुस्थिति से पत्र कमांक 223 दिनांक 11.01.2024 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत कराया गया है।
(V)	अपीलार्थी का अपील तर्क/कथन :–		चूंकि मांगी गई जानकारी छ.ग. के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित में मांगी गई थी। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अस्पष्ट एवं ईरादतन दिग्भ्रमित करने वाली है। अतः उन्हे चाही गई जानकारी/दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।
(VI)	जन सूचना अधिकारी का अपील तर्क/कथन :–		अपीलार्थी को धारा 5(4)(5) के सहायतार्थ संबंधित प्रभाग से जानकारी/सूचना प्राप्त कर यथोचित सूचना से निर्धारित समय–सीमा के भीतर अवगत करायी गई है।

(3) – प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयांतर्गत कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी द्वारा तालिका 01 में चाही गई जानकारी/दस्तावेज के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा धारा 5(4)(5) के सहायतार्थ अपीलार्थी को जो सूचना/जानकारी से अवगत करायी गई है, उससे वह असंतुष्ट है।

अपीलार्थी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि प्रश्नाधीन जानकारी जो छ.ग. के ST/SC वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित में मांगी गई थी जिसे जनसूचना अधिकारी द्वारा देने से इंकार किया गया है।

सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के प्रश्नाधीन जानकारी के संबंध में जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी पूर्णतः न्यायसंगत नहीं है। सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना की दी गई प्रकृति किसी भी रूप में धारा 8(1) (ञ) या धारा 8 (1) (j) की उन्मुक्तियों के भीतर नहीं आती है। अपितु विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही विवरण गोपनीय प्रकृति के अंतर्गत नहीं आती है। अतएव प्रकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचित होगा।

(4) अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध–न्यायिक प्रकृति की है। अतः अपील के निराकरण में यह आवश्यक है कि प्रकरण में न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि वह होते हुए भी दिखाई दे। तालिका (II) एवं (V) के दृष्टिगत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. का पत्र कमांक 01–05/पीडी–दो/533'–534 दिनांक 06.06. 2022 के अनुपालन में श्री व्ही के साय, सम्पर्क अधिकारी द्वारा किये गए टीप/अनुशंसा/सहमति युक्त दस्तावेज की प्रति कार्यालय में उपलब्धताः अनुसार अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह अपील इस निर्देश के साथ निराकृत किया जाता है कि जन सूचना अधिकारी तालिका (I) में उल्लेखित जानकारी/दस्तावेज संबंधित प्रभाग के DPIO से दस्तावेज जो भी उनके प्रभाग में उपलब्ध है प्राप्त कर, अपील आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान करें। उक्त निर्देश के दृष्टिगत अपील समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

27/5/24

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771– 2574700

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. ,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– एक, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर – कंडिका 04/टीप में उल्लेखित दस्तावेज जन सूचना अधिकारी को अतिशीघ्र उपलब्ध करावे।
(3) श्री एच.आर.नेताम, ग्राम व पोस्ट – छाछानपैरी, तहसील – अभनपुर, जिला – रायपुर (छ.ग.) पिन – 493661 ।
(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर ।

O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. ......
Date 05 JUN 2024
Addl.CE ......
Section ......

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन :- U40108CT2003SGC015820

कार्यालय :- कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक :- 01-01 / अ.प्र.कं. / 03 / 2024 / 3098 रायपुर, दिनांक 27/05/24

(अपील प्र.कं. – 03 / 2024)

श्री एच.आर.नेताम अपीलार्थी
अभनपुर

विरुद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 27/05/2024 को पारित)

अपीलार्थी श्री एच.आर.नेताम ने यह अपील जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)– दो, के निर्णय दिनांक 11.01.2024 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे'' अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी / दस्तावेज :–	संदर्भ कमांक (3) ऊर्जा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर का पत्र कमांक 1220 / आर–133 / 2023 / 13 / 2 दिनांक 03.05. 2023 आदेश के परिपालन में दिनांक 21.05.2021 के पश्चात् छ. ग.रा.पॉ. कंपनी में हुए विभागीय पदोन्नति समिति के अंतर्गत कृत कार्यवाही में संदर्भ कमांक (2) छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि, का पत्र कमांक 01–05 / पीडी–दो / 678–679 दिनांक 02.08.2018 के अनुपालन में श्री के. बी. पात्रे, सम्पर्क अधिकारी द्वारा किये गए टीप / अनुशंसा / सहमति युक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :–	जनसूचना अधिकारी द्वारा धारा 5(4)(5) का उल्लेख कर दिग्भ्रमित करने वाली एवं दिनांक 21.05.2021 के पश्चात् वर्ष 2021 में इस प्रभाग में कोई भी पदोन्नति पेनल संधारित नहीं किया गया, त्रुटिपूर्ण जानकारी लिखकर चाही गई जानकारी देने से इंकार किया जा रहा है। चाही गई जानकारी धारा 5(4)(5) से कोई संबंध नहीं है। अतः दस्तावेज उपलब्ध करायी जाए।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :–	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		21.02.2024	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। किन्तु अपरिहार्य कारण से अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		20.03.2024	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। किन्तु अपरिहार्य कारण से अपील में पुनः सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अधोहस्ताक्षरकर्ता अर्जित अवकाश में होने के

			कारण अपील में पुनः सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने में विलम्ब हुआ।
		08.05.2024	जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतएव प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क/कथन :–		अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, के नियंत्रण एवं प्रभार में होने के कारण धारा 5(5) के अनुसार सहायता ली गई। तत्संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि श्री नेताम के संदर्भित पत्र कमांक (03) नियुक्तियों की चयन प्रकियाओं में आरक्षण से संबंधित है। दिनांक 21.05.2021 के पश्चात् वर्ष 2021 में इस प्रभाग में कोई भी पदोन्नति पेनल संधारित नहीं किया गया। तदोपरांत श्री के.बी.पात्रे, के स्थान पर श्री व्ही.के.साय को इस कार्यालय के आदेश कमांक 533 दिनांक 06.06.2022 द्वारा संपर्क अधिकारी नियुक्त किये गये है। अतः वांछित जानकारी निरंक मानी जावे। अपीलार्थी को जानकारी के उक्त वस्तुस्थिति से पत्र कमांक 225 दिनांक 11.01.2024 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत कराया गया है।
(V)	अपीलार्थी का अपील तर्क :–		मांगी गई जानकारी छ.ग. के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित में मांगी गई थी। तत्संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अस्पष्ट एवं ईरादतन दिग्भ्रमित करने वाली है। अतएव उन्हे चाही गई जानकारी/दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।
(VI)	जन सूचना अधिकारी का अपील तर्क/कथन :–		अपीलार्थी को धारा 5(4)(5) के सहायतार्थ संबंधित प्रभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर यथोचित जानकारी से अवगत करायी गई है। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी धारा 5(4)(5) के पालनार्थ कार्यालय में संधारित नहीं है, अतः उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना/जानकारी दिया जाना है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है।

(3) – प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यवाही की गई है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा तालिका 01 में चाही गई दस्तावेज के संबंध में जनसूचना अधिकारी

...ारा 5 (5) के सहायतार्थ अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर यथोचित सूचना से अवगत करायी ...ई है।

अपीलार्थी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि प्रश्नाधीन जानकारी जो छ.ग. के **ST/SC** वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहित में मांगी गई थी जिसे जनसूचना अधिकारी द्वारा देने से इंकार किया गया है।

सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के प्रश्नाधीन जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा जो सूचना उपलब्ध करायी गई है वह तर्कसंगत है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2021 में विभागीय पदोन्नति समिति के अतंर्गत कृत कार्यवाही के संदर्भ में छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि, का पत्र कमांक 01–05/पीडी–दो/678–679 दिनांक 02.08.2018 के अनुपालन में श्री के.बी.पात्रे, सम्पर्क अधिकारी द्वारा किये गये टीप/अनुशंसा/सहमति युक्त दस्तावेज की मांग की गई है। उक्त वर्षान्त में पदोन्नति पेनल संबंधित प्रभाग में संधारित नहीं किया गया है, अतः दस्तावेज प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

सूचना का अधिकार के अंतर्गत केवल वही जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी जा सकती है जो उपलब्ध हो। अपीलार्थी का दायित्व है कि वह अपने द्वारा अपील में रखे गए तर्क का समुचित आधार प्रस्तुत करें। केवल उसके आग्रह को अधिकार नहीं माना जा सकता है। अतः अपील कथन तर्कसंगत नहीं है।

(4) उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा कर्तव्य का निवर्हन किया गया है जो स्वीकार्य है। अतः जन सूचना अधिकारी का पक्ष एवं कृत कार्यवाही अधिनियम के अधीन होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं रह जाती है। अतएव तदनुसार अपील समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

27/5/24

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक – 0771– 2574700

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0) – दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. ,रायपुर।

(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– एक, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर।

(3) श्री एच.आर.नेताम, ग्राम व पोस्ट – छाछानपैरी, तहसील– अभनपुर, जिला– रायपुर पिन – 493661 ।

(4) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव
छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर ।

O/o. E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. CSPDCL
Date 05 JUN 2024
Addl.CE
SE
EE श्री एच.आर.नेताम
Section अभनपुर

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन :– U40108CT2003SGC015820

कार्यालय :– कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)

क्रमांक 01–01/अ.प्र.कं./04/2024/3100 रायपुर, दिनांक 27/05/24

(अपील प्र.क्रं. 04/2024)

श्री एच.आर.नेताम अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 27/05/2024 को पारित)

अपीलार्थी श्री एच.आर.नेताम ने यह अपील जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)– दो, के निर्णय दिनांक 22.12.2023 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे" अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) — प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :—

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी/दस्तावेज :—	(1) छ.ग.स्टे.पॉ.कं. में JE से AE के पद की न्यूनतम योग्यता की नियम एवं शर्ते मापदंड दस्तावेज (सीधी भर्ती से, विभागीय भर्ती से और पदोन्नति से) की प्रति। (2) छ.ग.स्टे.पॉ.कं. में EE से SE एवं ACE के पद पर पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता की नियम एवं शर्ते मापदंड की प्रति। (3) छ.ग.स्टे.पॉ.कं. में CE से ED के पद पर पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता की नियम एवं शर्ते मापदंड की प्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :—	जनसूचना अधिकारी द्वारा अभिलेख शुल्क भुगतान पश्चात् कुल 16 पृष्ठों में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है। जन सूचना अधिकारी द्वारा JE, AE,EE,SE, ACE तथा CE से ED के पद की न्यूनतम योग्यता की नियम एवं शर्ते मापदंड दस्तावेज से संबंधित जानकारी नहीं दिया गया है। जन सूचना अधिकारी द्वारा छ.ग.वि.मं. एवं पॉवर कंपनी में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली से संबंधित जानकारी दिया गया है। अतएव अधूरी एवं भ्रामक जानकारी/दस्तावेज प्रदान की गई है। अतः उन्हे सम्पूर्ण जानकारी/दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :—	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :—
		21.02.2024	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। किन्तु अपरिहार्य कारण से अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		20.03.2024	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। किन्तु अपरिहार्य कारण से अपील में पुनः सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

			अधोहस्ताक्षरकर्ता अर्जित अवकाश में होने के कारण अपील में पुनः सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जाने में विलम्ब हुआ।
		08.05.2024	निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतएव प्रकरण में गुण–दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क/कथन :–		तालिका (I) में अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–एक तथा प्रबंधक (मा.सं.) –तीन, के नियंत्रण एवं प्रभार में होने के कारण धारा 5 (5) के अनुसार सहायता ली गई। तत्संबंध में संबंधित प्रभाग द्वारा बिन्दुवार जानकारी/दस्तावेज कुल 16 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गई है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी को धारा 5 (5) के सहायतार्थ चाही गई जानकारी/दस्तावेज कुल 16 पृष्ठों में नियमानुसार उपलब्ध करायी गई है। जहाँ तक अपीलार्थी का अपील कथन कि बिन्दु कमांक 02 एवं 03 में छ.ग.वि.मं. एवं पॉवर कंपनी में EE, SE, ACE तथा CE से ED के पद की न्यूनतम योग्यता की नियम एवं शर्तें मापदंड दस्तावेज (सीधी भर्ती से, विभागीय भर्ती से और पदोन्नति से) की प्रति नहीं दिया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त बिन्दुओं में केवल EE, SE, ACE तथा CE से ED के पद पर पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता की नियम एवं शर्तें मापदंड दस्तावेज की प्रति मांगी गई है न कि (सीधी भर्ती से ना विभागीय भर्ती से)। चूंकि उक्त केडर पदोन्नति का पद है। अतएव उक्त पदों पर नियुक्ति निर्धारित मापदंड व सेवा शर्तो के अधीन प्रचलित प्रकिया के अनुसार की जाती है। अतः इस कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पदोन्नति संबंधी मापदंड एवं सेवा शर्तें की जानकारी/ दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध करायी गई है। अपीलार्थी का यह कथन की जानकारी अधूरी व भ्रामक है स्वीकार योग्य नहीं है।

(3) – प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर धारा 5 (5) के पालनार्थ धारा 7(1) अंतर्गत यथोचित प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त कर 16 पृष्ठों में दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है।

सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा 03 बिन्दुओं के माध्यम से छ.ग.स्टे.पॉ.कं. में JE से AE के पद की न्यूनतम योग्यता की नियम एवं शर्तें मापदंड दस्तावेज (सीधी भर्ती से, विभागीय भर्ती से और पदोन्नति से) एवं EE से SE ,ACE, CE से ED के पद पर पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता की नियम एवं शर्तें मापदंड दस्तावेज की प्रति चाही गई है।

उक्ताशय के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा धारा 5(5) के सहायतार्थ अपीलार्थी से प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त कर निर्धारित मापदंड एवं सेवा शर्तो से संबंधित 16 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई है, जो तर्कसंगत है।

(4) — अपीलार्थी प्रमुखतः इस तथ्य से व्यथित है कि प्रश्नाधीन जानकारी उन्हे जनसूचना अधिकारी द्वारा पूर्णतः उपलब्ध नहीं करायी गई है। अतः अपीलार्थी द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में जानकारी स्पष्ट करते हुए निम्न दस्तावेज की मांग की गई है जो निम्नानुसार है :—

(अ) छ.ग.स्टे.पॉ.कंपनी में कनिष्ठ अभियंता एवं सहायक अभियंता के पद की न्यूनतम योग्यता की नियम एवं शर्ते मापदंड दस्तावेज (सीधी भर्ती से, विभागीय भर्ती से और पदोन्नति से) की प्रति।

(ब) छ.ग.स्टे.पॉ.कंपनी में कार्यपालन अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता एवं अति. मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता की नियम एवं शर्ते मापदंड दस्तावेज की प्रति।

(स) छ.ग.स्टे.पॉ.कंपनी में मुख्य अभियंता एवं कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिये न्यूनतम योग्यता की नियम एवं शर्ते मापदंड दस्तावेज की प्रति।

(5)— अपील के निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध—न्यायिक प्रकृति की है। अतएव अपील के निराकरण में यह आवश्यक है कि प्रकरण में न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि वह होते हुए भी दिखाई दे।

कंडिका 04/—टीप के उल्लेखानुसार अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत होगा। जिससे अपीलार्थी की शंखा का समाधान हो सके। तदनुसार जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त कंडिका में वर्णित जानकारी/दस्तावेज कार्यालयीन अभिलेख में उपलब्धताः अनुसार संबंधित प्रभाग के DPIO से प्राप्त कर अपीलार्थी को अपील आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर निःशुल्क प्रदान करें। उक्त निर्देश के दृष्टिगत अपील समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक — 0771— 2574700

प्रतिलिपि :—

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)—दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)— एक, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर— कंडिका 04/—टीप में उल्लेखित जानकारी/दस्तावेज प्रभाग में उपलब्धताः अनुसार जनसूचना अधिकारी को अतिशीघ्र उपलब्ध कराये।

(3) प्रबंधक (मा0सं0) — तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर — कंडिका 04/— टीप में उल्लेखित जानकारी/दस्तावेज प्रभाग में उपलब्धताः अनुसार जनसूचना अधिकारी को अतिशीघ्र उपलब्ध कराये।

(4) श्री एच.आर.नेताम, ग्राम व पो.— छाछानपैरी, तहसील— अभनपुर, जिला— रायपुर पिन — 493661 ।

(5) मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर — उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :— सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर ।